[2021] 2 उम. नि. प. 354

जयदीप मजुमदार

बनाम

भारती जायसवाल मजुमदार

[2020 की सिविल अपील सं. 3786-3787]

26 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13(1)(i-क) – मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद – विवाह के कुछ समय पश्चात् ही पति-पत्नी के बीच तना-तनी के संबंध हो जाने पर दोनों अलग-अलग हो जाना – पति-पत्नी दोनों उच्च शिक्षित होना – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध सेना के उच्च स्तर के प्राधिकारियों को गंभीर शिकायतें किया जाना और जारता का अभिकथन किया जाना – कुटंब न्यायालय द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर अपीलार्थी-पति द्वारा फाइल विवाह-विच्छेद का वाद मंजूर किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री खारिज किया जाना – मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह के विघटन पर विचार करने के लिए मानसिक क्रूरता ऐसी होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध जारी रहना संभव न हो और जहां पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध उसके उच्च प्राधिकारियों को कई सारी मानहानिकारक शिकायतें की गई हों और जिनके परिणामस्वरूप उसकी वृत्ति (कैरियर) पर प्रभाव पड़ा हो और सह-कर्मियों के बीच उसकी ख्याति के साथ-साथ उसकी मानसिक शांति को अपूरणीय क्षति पहुंची हो, वहां मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद प्रदान करना न्यायोचित होगा ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एक सेना का अधिकारी है और एम. टेक. अर्हता रखता है । प्रत्यर्थी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टिहरी में संकाय (फैकल्टी) के पद पर है

और पीएच-डी. डिग्रीधारी है । उनका विवाह 27 सितंबर, 2006 को हुआ था और विशाखापट्टनम और लुधियाना में कुछ माह एक साथ रहे थे । किंतु विवाहित जीवन के आरंभिक दिनों से ही मतभेद हो गया और तारीख 15 सितंबर, 2007 से पति-पत्नी अलग-अलग हो गए । अपीलार्थी ने मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए कुटुंब न्यायालय में वाद फाइल किया । अपीलार्थी ने विवाह-विच्छेद की कार्यवाही में यह अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके विरुद्ध अनेक विद्वेषपूर्ण शिकायतें की गई थीं जिससे उसकी जीवन-वृत्ति प्रभावित हुई और उसकी ख्याति को हानि पहुंची और परिणामस्वरूप मानसिक क्रूरता की गई । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अपने मामले में यह प्रतिवाद किया कि पति ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उसे परित्यक्त कर दिया था और तद्नुसार उसने वैवाहिक जीवन के पुनरारंभ के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दिया जाए । कुटुंब न्यायालय, देहरादून ने दोनों मामलों पर साथ-साथ विचार किया । विद्वान् न्यायाधीश ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, अभिलेख पर के दस्तावेजों और संबंधित काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर अपने विवेक का प्रयोग किया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी पति के विरुद्ध जारता के अपने अभिकथन को सिद्ध करने में असफल रही है । यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी ने सेना और अन्य प्राधिकारियों को अपनी शिकायतें देकर अपीलार्थी के साथ मानसिक क्रूरता की थी । परिणामस्वरूप, न्यायालय ने विवाह के विघटन के लिए अपीलार्थी का वाद मंजूर किया और साथ-ही-साथ दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए प्रत्यर्थी की याचिका खारिज कर दी । इसके पश्चात् पक्षकारों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी प्रथम अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने अभिवचनों और विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विवाद्यकों पर विचार करने के पश्चात् यह पाया कि इस विवाद में क्रूरता मुख्य विवाद्यक है । इसके पश्चात् न्यायालय यह परीक्षा करने के लिए अग्रसर हुआ कि क्या पत्नी द्वारा सेना के उच्च अधिकारियों सहित विभिन्न प्राधिकारियों को अपनी शिकायत करके अपीलार्थी के साथ क्रूरता की थी जिससे कि विवाह के विघटन के लिए उसके अभिवाक् को न्यायोचित ठहराया जा सके । जबकि यह पाया गया कि पत्नी ने अपीलार्थी के चरित्र और आचरण पर टीका-टिप्पणी करते

हुए विभिन्न प्राधिकारियों को लिखा था, किंतु खंड न्यायपीठ ने यह राय व्यक्त की कि उन टीका-टिप्पणियों का अर्थान्वयन क्रूरता के रूप में नहीं किया जा सकता है चूंकि किसी भी न्यायालय ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि वे अभिकथन मिथ्या या मनगढ़ंत थे । पक्षकारों का एक-दूसरे के प्रति आचरण अधिक से अधिक एक सामान्य मध्य वर्गीय वैवाहिक जीवन की कहा-सुनी कहा जा सकता है । तद्नुसार उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के अधीन विवाह के विघटन के लिए डिक्री को अपास्त कर दिया और दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए प्रत्यर्थी के वाद को मंजूर किया । अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मानसिक क्रूरता का अभिकथन करने वाले पति या पत्नी की प्रेरणा पर विवाह के विघटन पर विचार करने के लिए ऐसी मानसिक क्रूरता का परिणाम अवश्य ऐसा होना चाहिए कि वैवाहिक संबंध जारी रखना संभव न हो । दूसरे शब्दों में, पीड़ित पक्षकार से ऐसे आचरण को माफ करने और अपने पति/पत्नी के साथ रहने की प्रत्याशा न की जा सकती हो । सहन करने की शक्ति एक दंपत्ति से दूसरे दंपत्ति की अलग-अलग होती है और न्यायालय को यह अवधारण करने के लिए कि क्या पीड़ित पक्षकार की प्रेरणा पर विवाह के विघटन को न्यायोचित ठहराने के लिए अभिकथित क्रूरता पर्याप्त है या नहीं, पक्षकारों की पृष्ठभूमि, शिक्षा का स्तर और उनकी प्रास्थिति को भी ध्यान में रखना होगा । प्रस्तुत मामले में की सामग्री से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के सेना में के वरिष्ठ अधिकारियों को कई मानहानिकारक शिकायतें की थीं जिनके लिए सेना प्राधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध एक जांच न्यायालय का आयोजन किया गया था । उनके कारण प्राथमिक रूप से अपीलार्थी की वृत्ति पर असर पड़ा था । प्रत्यर्थी राज्य महिला आयोग जैसे अन्य प्राधिकारियों को भी शिकायतें कर रही थी और अन्य मंचों पर मानहानिकारक सामग्री चिपकाई थी । उपरोक्त का अंतिम परिणाम यह है कि अपीलार्थी की वृत्ति और ख्याति को क्षति पहुंची थी । जब अपीलार्थी को अपने जीवन और वृत्ति में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अभिकथनों के कारण प्रतिकूल परिणाम भुगतने

पड़े थे, तो इनके विधिक परिणाम अवश्य होंगे और उन्हें केवल इस कारण निवारित नहीं किया जा सकता है कि किसी न्यायालय ने यह अवधारित नहीं किया था कि अभिकथन मिथ्या थे । तथापि, उच्च न्यायालय का यह विचार था कि पत्नी के अभिकथन की विश्वसनीयता पर किसी निश्चित निष्कर्ष के बिना पीड़ित पति अनुतोष का हकदार नहीं होगा । यह तरीका इस विवाद्यक पर विचार करने के लिए सही नहीं पाया गया है । उपरोक्त समझ के साथ अग्रसर होते हुए, यहां जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी का आचरण मानसिक क्रूरता की कोटि के अंतर्गत आता है या नहीं । यहां अभिकथन एक अत्यधिक पढ़ी-लिखी पत्नी द्वारा लगाए गए हैं और वे अपीलार्थी के चरित्र और ख्याति को अपूरणीय क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति के हैं । जब पति की ख्याति अपने सहकर्मियों, अपने वरिष्ठों के बीच और बड़े पैमाने पर समाज में कलंकित की गई है, तो प्रभावित पक्षकार से ऐसे आचरण को माफ करने की प्रत्याशा करना कठिन होगा । पत्नी का यह स्पष्टीकरण कि उसने वे शिकायतें वैवाहिक बंधन को बचाने के लिए की थीं, हमारे मत में उसके द्वारा अपीलार्थी की गरिमा और ख्याति को कमजोर करने के लिए किए गए सतत प्रयास को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं । इस प्रकार की परिस्थितियों में, पीड़ित पक्षकार से ऐसे वैवाहिक संबंध जारी रखने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है और उसके लिए पृथक्करण की ईप्सा करना पर्याप्त न्यायोचित है । अत: इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने इस टूटे हुए संबंध को मध्य वर्गीय वैवाहिक जीवन की प्रसामान्य कहा-सुनी के रूप में वर्णित करके गलती की थी । यह प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध की गई क्रूरता का एक निश्चित मामला है और इसलिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने और कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को प्रत्यावर्तित करने के लिए पर्याप्त न्यायोचित्य पाया गया है । तद्नुसार, अपीलार्थी को अपने विवाह का विघटन करने के लिए हकदार ठहराया जाता है और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी का दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन खारिज किया जाता है । (पैरा 10, 11, 12, 13, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2007]	(2007) 4 एस. सी. सी. 511 : **समर घोष** बनाम **जया घोष** ।	10

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 3786-3787.

2017 की प्रथम अपील सं. 81 और 82 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के तारीख 25 जून, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री गोपाल शंकरनारायणन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, गौरव गोयल, गौरव गुप्ता, रूक रे, आकाश खट्टर और राजेश कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अहमद इब्राहिम और एस. के. वर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने दिया ।

न्या. राय – अपीलार्थी (पति) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल, श्री गोपाल शंकरनारायणन को सुना । प्रत्यर्थी (पत्नी) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री अहमद इब्राहिम को भी सुना ।

2. इन अपीलों में चुनौती 2017 की प्रथम अपील सं. 81 और 2017 की प्रथम अपील सं. 82 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के तारीख 25 जून, 2019 के उस समरूप निर्णय और आदेश को दी गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय, देहरादून के तारीख 4 जुलाई, 2017 के सामान्य आदेश को उलटते हुए दोनों अपीलें मंजूर की थीं । कुटुंब न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी विवाह के विघटन के लिए अपने मामले में सफल रहा था किंतु प्रत्यर्थी दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अपनी याचिका में अनुकूल निर्णय प्राप्त करने में असफल रही थी ।

3. अपीलार्थी एक सेना का अधिकारी है और एम. टेक. अर्हता रखता है । प्रत्यर्थी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टिहरी में संकाय (फैकल्टी) के पद पर है और पीएच. डी. डिग्रीधारी है । उनका विवाह 27 सितंबर, 2006 को हुआ था और विशाखापट्टनम और लुधियाना में कुछ माह एक साथ रहे थे । किंतु विवाहित जीवन के आरंभिक दिनों से ही मतभेद हो गया और तारीख 15 सितंबर, 2007 से पति-पत्नी अलग-अलग हो गए ।

4. इस मनमुटाव के कारण अपीलार्थी ने पूर्व में कुटुंब न्यायालय, विशाखापट्टनम में विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन किया था । इसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध देहरादून स्थित न्यायालय में एक याचिका फाइल की । बाद में, जब उसे अपीलार्थी द्वारा विशाखापट्टनम में फाइल किए गए मामले का पता चला तो उसने इस न्यायालय के समक्ष 2011 की अंतरण याचिका (सिविल) सं. 1366 फाइल की । अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात हुआ और यह कहा कि विशाखापट्टनम में मामले को वापस ले लिया जाएगा । इसके पश्चात् इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश अभिलिखित किया :–

> "प्रत्यर्थी की ओर से काउंसेल ने यह कहा कि प्रत्यर्थी कुटुंब न्यायालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के समक्ष लंबित अपनी याचिका को वापस ले लेगा और यदि वह याची (अपनी विरक्त पत्नी) के विरुद्ध किसी अनुतोष की ईप्सा करते हुए कोई याचिका फाइल करेगा, तो वह उस याचिका को केवल देहरादून, उत्तराखंड में समुचित न्यायालय के समक्ष फाइल करेगा ।
>
> न्यायालय के समक्ष किए गए कथन को ध्यान में रखते हुए याची की कोई शिकायत शेष नहीं रह जाती है ।
>
> अंतरण याचिका का निपटारा किया जाता है ।
>
> तथापि, हम यह मत व्यक्त कर सकते हैं कि यदि प्रत्यर्थी देहरादून में कोई याचिका फाइल करता है तो देहरादून का न्यायालय इस पर विचार करेगा और कोई असम्यक समय गंवाए बिना शीघ्रता से इसका निपटारा करेगा ।"

5. अपीलार्थी ने विवाह-विच्छेद की कार्यवाही में यह अभिवाक् किया था कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके विरुद्ध अनेक विद्वेषपूर्ण शिकायतें की गई थीं जिससे उसकी जीवन-वृत्ति प्रभावित हुई और उसकी ख्याति को हानि पहुंची और परिणामस्वरूप मानसिक क्रूरता की गई । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अपने मामले में यह प्रतिवाद किया कि पति ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उसे परित्यक्त कर दिया था और तद्नुसार उसने वैवाहिक जीवन के पुनरारंभ के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने हेतु अभिवाक् किया था ।

6. कुटुंब न्यायालय, देहरादून ने दोनों मामलों पर साथ-साथ विचार किया । विद्वान् न्यायाधीश ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, अभिलेख पर के दस्तावेजों और संबंधित काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर अपने विवेक का प्रयोग किया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी पति के विरुद्ध जारता के अपने अभिकथन को सिद्ध करने में असफल रही है । यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी ने सेना और अन्य प्राधिकारियों को अपनी शिकायतें देकर अपीलार्थी के साथ मानसिक क्रूरता की थी । परिणामस्वरूप, न्यायालय ने विवाह के विघटन के लिए अपीलार्थी का वाद मंजूर किया और साथ-ही-साथ दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए प्रत्यर्थी की याचिका खारिज कर दी ।

7. इसके पश्चात् व्यथित पक्षकारों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी प्रथम अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने अभिवचनों और विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विवाद्यकों पर विचार करने के पश्चात् यह पाया कि इस विवाद में क्रूरता मुख्य विवाद्यक है । इसके पश्चात् न्यायालय यह परीक्षा करने के लिए अग्रसर हुआ कि क्या पत्नी द्वारा सेना के उच्च अधिकारियों सहित विभिन्न प्राधिकारियों को अपनी शिकायत करके अपीलार्थी के साथ क्रूरता की थी जिससे कि विवाह के विघटन के लिए उसके अभिवाक् को न्यायोचित ठहराया जा सके । जबकि यह पाया गया कि पत्नी ने अपीलार्थी के चरित्र और आचरण पर टीका-टिप्पणी करते हुए विभिन्न प्राधिकारियों को लिखा था, खंड न्यायपीठ ने यह राय व्यक्त की कि उन टीका-टिप्पणियों का अर्थान्वयन क्रूरता के रूप में नहीं किया जा सकता है चूंकि किसी भी न्यायालय ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि वे

अभिकथन मिथ्या या मनगढ़ंत थे । न्यायालय के अनुसार, पक्षकारों का एक-दूसरे के प्रति आचरण अधिक से अधिक एक सामान्य मध्य वर्गीय वैवाहिक जीवन की कहा-सुनी कहा जा सकता है । तद्नुसार उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के अधीन विवाह के विघटन के लिए डिक्री को अपास्त कर दिया और दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए प्रत्यर्थी के वाद को मंजूर किया ।

8. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री गोपाल शंकरनारायणन ने उच्च न्यायालय के विनिश्चय को चुनौती देते हुए इस बात को रेखांकित किया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विरुद्ध सेना के मुखिया के स्तर तक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष बहुत सारी शिकायतें फाइल की थीं और इन शिकायतों से अपीलार्थी की ख्याति और मानसिक शांति को अपूरणीय क्षति पहुंची थी । इसलिए ऐसे निराधार अभिकथनों और क्रूर व्यवहार को देखते हुए अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के साथ वैवाहिक जीवन के पुनरारंभ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, वैवाहिक जीवन केवल कुछ माह तक ही चला था और पति-पत्नी तारीख 15 सितंबर, 2007 से अलग हो गए थे तथा इन सभी वर्षों के पश्चात् प्रत्यास्थापन न्यायोचित और व्यवहार्य नहीं होगा ।

9. इसके विपरीत, विद्वान् काउंसेल श्री अहमद इब्राहिम ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ अपने वैवाहिक जीवन के पुनरारंभ के लिए इच्छुक है । काउंसेल के अनुसार, प्रत्यर्थी ने जो पत्र लिखे थे और शिकायतें फाइल की थीं वह केवल अपने विधिक अधिकार का प्राख्यान करने के लिए किया गया था और इसलिए उन संसूचनाओं को पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंध को परिरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों के रूप में समझा जाना चाहिए । यह भी दलील दी गई कि केवल इस कारण कि अपीलार्थी ने विशाखापट्टनम के न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद के लिए मामला फाइल किया था और एक-पक्षीय आदेश अभिप्राप्त किया था, प्रत्यर्थी अपीलार्थी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते अपने अधिकार का प्राख्यान करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों को लिखने के लिए बाध्य हुई थी ।

10. मानसिक क्रूरता का अभिकथन करने वाले पति या पत्नी की प्रेरणा पर विवाह के विघटन पर विचार करने के लिए ऐसी मानसिक

क्रूरता का परिणाम अवश्य ऐसा होना चाहिए कि वैवाहिक संबंध जारी रखना संभव न हो । दूसरे शब्दों में, पीड़ित पक्षकार से ऐसे आचरण को माफ करने और अपने पति/पत्नी के साथ रहने की प्रत्याशा न की जा सकती हो । सहन करने की शक्ति एक दंपत्ति से दूसरे दंपत्ति की अलग-अलग होती है और न्यायालय को यह अवधारण करने के लिए कि क्या पीड़ित पक्षकार की प्रेरणा पर विवाह के विघटन को न्यायोचित ठहराने के लिए अभिकथित क्रूरता पर्याप्त है या नहीं, पक्षकारों की पृष्ठभूमि, शिक्षा का स्तर और उनकी प्रास्थिति को भी ध्यान में रखना होगा । **समर घोष** बनाम **जया घोष**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने दृष्टांत स्वरूप ऐसे मामले दिए थे जहां मानसिक क्रूरता का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, फिर भी इस बात पर बल दिया गया था कि कोई एकसमान मानदंड अधिकथित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामला उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा ।

11. प्रस्तुत मामले में की सामग्री से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के सेना में के वरिष्ठ अधिकारियों को कई मानहानिकारक शिकायतें की थीं जिनके लिए सेना प्राधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध एक जांच न्यायालय का आयोजन किया गया था । उनके कारण प्राथमिक रूप से अपीलार्थी की वृत्ति पर असर पड़ा था । प्रत्यर्थी राज्य महिला आयोग जैसे अन्य प्राधिकारियों को भी शिकायतें कर रही थी और अन्य मंचों पर मानहानिकारक सामग्री चिपकाई थी । उपरोक्त का अंतिम परिणाम यह है कि अपीलार्थी की वृत्ति और ख्याति को क्षति पहुंची थी ।

12. जब अपीलार्थी को अपने जीवन और वृत्ति में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अभिकथनों के कारण प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े थे, तो इनके विधिक परिणाम अवश्य होंगे और उन्हें केवल इस कारण निवारित नहीं किया जा सकता है कि किसी न्यायालय ने यह अवधारित नहीं किया था कि अभिकथन मिथ्या थे । तथापि, उच्च न्यायालय का यह विचार था कि पत्नी के अभिकथन की विश्वसनीयता पर किसी निश्चित निष्कर्ष के बिना पीड़ित पति अनुतोष का हकदार नहीं होगा । यह तरीका इस विवाद्यक पर विचार करने के लिए सही नहीं पाया गया है ।

---

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 511.

13. उपरोक्त समझ के साथ अग्रसर होते हुए, यहां जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी का आचरण मानसिक क्रूरता की कोटि के अंतर्गत आता है या नहीं । यहां अभिकथन एक अत्यधिक पढ़ी-लिखी पत्नी द्वारा लगाए गए हैं और वे अपीलार्थी के चरित्र और ख्याति को अपूरणीय क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति के हैं । जब पति की ख्याति अपने सहकर्मियों, अपने वरिष्ठों के बीच और बड़े पैमाने पर समाज में कलंकित की गई है, तो प्रभावित पक्षकार से ऐसे आचरण को माफ करने की प्रत्याशा करना कठिन होगा ।

14. पत्नी का यह स्पष्टीकरण कि उसने वे शिकायतें वैवाहिक बंधन को बचाने के लिए की थीं, हमारे मत में उसके द्वारा अपीलार्थी की गरिमा और ख्याति को कमजोर करने के लिए किए गए सतत प्रयास को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं । इस प्रकार की परिस्थितियों में, पीड़ित पक्षकार से ऐसे वैवाहिक संबंध जारी रखने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है और उसके लिए पृथक्करण की ईप्सा करना पर्याप्त न्यायोचित है ।

15. अत: हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने इस टूटे हुए संबंध को मध्य वर्गीय वैवाहिक जीवन की प्रसामान्य कहा-सुनी के रूप में वर्णित करके गलती की थी । यह प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध की गई क्रूरता का एक निश्चित मामला है और इसलिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने और कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को प्रत्यावर्तित करने के लिए पर्याप्त न्यायोचित्य पाया गया है । तद्नुसार, अपीलार्थी को अपने विवाह का विघटन करने के लिए हकदार ठहराया जाता है और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी का दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन खारिज किया जाता है । तद्नुसार यह आदेश किया जाता है ।

16. उपरोक्त आदेश के साथ इन अपीलों का निपटारा किया जाता है और पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.